

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) फरवरी 22

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

भंडारी

बनाम शिवाजी सुल्तान

दावा बाबत नाम दुर्लभा U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 136/2022

निर्णय दिनांक :- 15-06-2022

वादी की ओर से शक्ति की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.06.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - श्रीवा कडी लीका किता आका आदेशी राधी ग्राह सिस्तेपी के लता नं 20 वन 308 में शक्ति शक्ति पुत्र सुल्ताना के खान पर भंडारी पुत्री सुल्ताना के नाम की क्रीषण की उपती है। वही लीका के उभानुसार राजन अमिलार में अमिलार करार करे। वही लीके दिने पूर्व में कोई शिपरा के पक्ष देखते या लीका की स्थिति के पूर्व नाम मान्य होगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

